FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज. अदालत..............सभागीय आयुक्त........................मुकाम................भरतपुर.................................

....................कैलाश..बनाम ....तहसीलदार बामनवास व अन्य ....

किस्म मुकदमा.....(75 एलआरएक्ट)...नम्बर............56/19..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.5.2019	श्री श्याम मोहन शर्मा, एडवोकेट द्वारा यह अपील पेश की गई । सारिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दौराने अपील एडमीशन वकील अपीलान्ट को सुना गया। यह अपील उपखण्डाधिकारी बामनवास के पत्र क्रमांक /कोर्ट/रीडर/2019/419 दिनांक 11.4.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जो तहसीलदार बामनवास के पत्रांक/भू0अ0/2019/777 दिनांक 6.2.2019 के संदर्भ में तहसीलदार बामानवास द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में निर्देशित किया गया है। पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक प्रशासनिक पत्र है न कि न्यायिक आदेश । पत्र के जरिये तहसीलदार बामनवास को उनके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75–76 के प्रावधानानुसार चूंकि प्रशासनिक पत्र/आदेश निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपील मेन्टेनेबिल नही रहती है इसके अलावा अभी उपखण्डाधिकारी द्वारा प्रशासनिक दिशा निर्देश प्रदान किये है जिसके अनुसरण में संबधित तहसीलदार को अभी कार्यवाही की जानी है तदोपरान्त परीक्षण न्यायालय के अंतिम निर्णय से यदि किसी पक्षकार को कोई गुरैज रहता है तो वह उस निर्णय की सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहता है लिहाजा उपखण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक पत्र होने के कारण यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर फैसल शुमार किया जावे। संभागीय आयुक्त भरतपुर	